न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, चूरू

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार गौतम, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या – 2022/4 दायर दिनांक 22.03.2022

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, रतनगढ जिला चूरू –सायल–

बनाम

मोटाराम पुत्र अमरूराम सारण (मालीक) मै0 श्री बीकानेर मावा भण्डार, अग्रसेन कॉम्पलेक्स राम मन्दिर के सामने पुरानी सड़क चूरू जिला चूरू। –गैरसायल–

परिवाद जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (।।)/51 एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रुल्स 2011

उपस्थित – 1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी वास्ते पैरोकार राज।

निर्णय दिनांक 14.09.2022

यह परिवाद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चूरु से प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रस्तुत प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी के अनुसार निम्नानुसार है :–

1. यह कि मैं फूल सिंह बाजिया कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चूरू मुख्यालय रतनगढ़ में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन कर रहा हूँ और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित नोटिफिकेशनरू दिनांक 25.07.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। श्रीमान् आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं निर्देशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक एच/पीएफए/नोटीफीकेशन /2011/475 दिनांक 10.08.2011 व एफएसएसए/2020/750 दिनांक 06.10.2020 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र जिला चूरू में आने वाले समस्त स्थानिय क्षेत्र में आते है। अधिसूचना एवं आदेश की प्रतिया न्यायनिर्णयन के आवेदन के साथ संलग्न है।
2. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 30.10.2021 को 12.20 पीए. एम. पर मै० श्री बीकानेर माया भण्डार अग्रसेन काम्पलेक्स राम मन्दिर के सामने, पुरानी सडक चूरू जिला चूरू पर पहुंचा। वहां पर श्री मोटाराम अपनी दुकान में 50 किलोग्राम मावा एक डीप फ्रीज में बेचने हेतु रखा पाया गया। मैने अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया श्री मोटाराम से पुछने पर बताया कि मावा बनाकर ग्राहकों को बेचने का कार्य करता हूँ।
3. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए कि प्रतियां तैयार कर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। फार्म नम्बर 5ए की एक प्रति विक्रेता श्री मोटाराम को देकर रसीद प्राप्त की फार्म नम्बर 5ए की रिपोर्ट न्यायनिर्णयान आवेदन के साथ संलग्न है।
4. यह कि मावा में मिलावट का शंका होने पर उसमें से 1 किलोग्राम मावा एक साफ सुखा स्टील के बर्तन मे वास्ते जांच नमूना खरीद किया। जिसकी कीमत विक्रेता श्री मोटाराम को 240/– रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाह श्री इस्लामुदीन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न हैं।
5. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा मावा को विक्रेता एवं गवाह को चार खाली साफ सुखी प्लास्टिक कि बोतलों को दिखाकर उक्त खरीदशुदा मावा को प्रत्येक बोतल में बराबर बराबर मात्रा में 250 ग्राम – 250 ग्राम डालकर प्लास्टिक बोतलों में परिरक्षक फोर्मलीन की 20–20 बूंदे डालकर बोतलों को ढकन्न लगाकर ऐयरटाइड बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूने की बोतलों पर चिपकाये और लेवल पर डी ओ के कोड एवं क्रमांक एल–2760 दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्लीप संख्या नमूना लेने वाले का नाम दिनांक स्थान व खाद्य पदार्थ की किरम एवं परिरक्षक का नाम व मात्रा अकित की लेबल पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने भी हस्ताक्षर किये नमूना के चारों भागो को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर दोनों सीराओं को गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी ओ जिला चूरू की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप नम्बर एल–2760

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

नियमानुसार नमुना के चारों बोतलों पर राउण्ड टू बोटम गोद से चिपकाकर प्रत्येक नमूने के भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूने के भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसर इस प्रकार करवाये पेपर स्लीप व रेपर दोनों पर आये एवं खाखी पेपर पर गवाह के हस्ताक्षर करावे। नमूना के चारो भागों पर नमूना संख्या, नमूना लेने का स्थान, खाद्य पदार्थ की किस्म परिरक्षक की मात्रा अंकित कि गई एवं मैने हस्ताक्षर किये व मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता और गवाह को पढ़ा सुनाकर हस्ताक्षर करवायें एवं मैने स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं चारों नमूनों के भागों को अपने कब्जे में लिया।

6. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पर पहुंचकर फार्म नम्बर 6 की प्रतियां तैयार कर पुनः नमूनों के भागों को आउटर कवर में मय फार्म नम्बर 6 की प्रति रखकर पुनः नमूना पैक किया एवं धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी लगाकर सील बन्द किया एवं नमूने के एक भाग पर मुख्य विष्लेशक राज्य केन्द्रीय प्रयोगशाला राजस्थान जयपुर का पता लिखकर नमूना संख्या एवं दिनाक डालकर एवं मेरे हस्ताक्षर कर राज्य केन्द्रीय प्रयोगशाला, जयपुर में भिजवाया साथ में एक सील बन्द लिफाफे में फार्म नम्बर 6 की 02 प्रतियां सील मोहर कर सील बन्द लिफाफे में अलग से भिजवाया। नमूना जमा कराने की रसीद एवं फार्म नम्बर 6 की प्रतियां जमा कराने रसीद न्यायनिर्णय आवेदन के साथ सलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना दो प्रतियों के आउटर कवर में नियमानुसार सील बन्द कर तथा नमूनों का चौथा भाग अलग से आउटर कवर में नियमानुसार सील बन्द कर डी ओ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चूरू मुख्यालय रतनगढ़ को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो कि न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

7. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा पत्र अग्रेषण क्रमांक 445 दिनांक 26.11 2021 प्राप्त हुआ। जिसके साथ खाद्य विश्लेशक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला) राजस्थान जयपुर की रिपोर्ट संख्या एल.एस./1651/एक्ट/2021/1527 दिनांक 23.11.2021 प्राप्त हुई जिसमें विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खादय पदार्थ मावा, सबस्टेण्डर्ड फुड होना पाया गया जांच रिपोर्ट न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

8. श्रीमान् अभिहीत अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चूरू मुख्यालय रतनगढ़ ने पत्र क्रमांकरू एफएसएसए/2022/203 दिनांक 16.03.2022 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण में न्यायनिर्णय आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया।

9. यह कि उक्त प्रकरण में मोटाराम ने सबस्टैण्डर्ड मावा का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (11) का उल्लघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है अतः उपरोक्त आवेदन श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत है।

गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। तामिल होने के उपरान्त गैरसायल की ओर से अधिवक्ता श्री शिवसिंह राठौड़ ने दिनांक 29.04.2022 को वकालतनामा पेश किया। वकालतनामा पेश करने के पश्चात गैरसायल अधिवक्ता दिनांक 26.07.2022, 02.08.2022, 16.08.2022, 13.09.2022 से लगातार पेशी पर अनुपस्थित रहे तथा ना ही प्रकरण में जवाब पेश किया इसलिए दिनांक 02.08.2022 को गैरसायल अधिवक्ता का जवाब का अवसर बन्द किया गया। श्रीमान मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जयपुर के पत्रांक प. 1(1)चिस्वा/ग्रुप–2/2020/354 दिनांक 20.12.2021 द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर को प्रकरणों को 90 दिवस की अवधि में निस्तारण करने के निर्देश दिये गये हैं। गैरसायल अधिवक्ता के लगातार पेशी पर अनुपस्थित रहने तथा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं करने के कारण गैरसायल के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

खाध सुरक्षा अधिकारी रतनगढ ने बहस में कहा कि खाद्य पदार्थ **मावा** सबस्टैण्डर्ड, का सेम्पल नं. एल–2760 रिपोर्ट संख्या एल.एस./1651/एक्ट/2021/1527 दिनांक 23.11.2021 के अनुसार **सबस्टैण्डर्ड** पाया गया है जो खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(।।) का उल्लंघन हुआ है। खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम, 2006 की धारा 51 में उल्लेखित शास्ति से गैरसायल को दण्डित किया जावें।

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

परिवाद सं. 2022/4
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम मोटाराम

खाध सुरक्षा अधिकारी रतनगढ को सुना गया। परिवाद पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का भलीभांति अवलोकन किया गया। चूंकि गैरसायल द्वारा बेचे जा रहे खाद्य पदार्थ **मावा** सबस्टेण्डर्ड की रिपोर्ट संख्या एल.एस./1651/एक्ट/2021/1527 दिनांक 23.11.2021 से सबस्टैण्डर्ड (It does not conform to the prescribed standards of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Foof Additives) Regulations, 2011) होना पाया गया है। इस प्रकार गैरसायल के द्वारा सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ विक्रय का कारोबार करना परिवाद से साबित है।

उपर्युक्त विवेचना के परिपेक्ष्य में गैरसायल को सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ **मावा** सबस्टैण्डर्ड, बेचने के कारण अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत गैरसायल मोटाराम पुत्र अमरूराम सारण (मालिक) मै0 श्री बीकानेर मावा भण्डार, अग्रसेन कॉम्पलेक्स राम मन्दिर के सामने पुरानी सड़क चूरू जिला चूरू को 4,00,000/—रूपये (चार लाख रूपये) की शास्ति अधिरोपित की जाती है तथा गैरसायल को हिदायत दी जाती है कि भविष्य में पुनः खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 का उल्लंघन नहीं करें। गैरसायल उक्त राशि 15 दिवस के अन्दर अन्दर जरिये चालान बैंक में राज्य सरकार के बजट हैड—0210— चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800—अन्य प्राप्तियाँ, (03)—खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि में जमा कराकर चालान की प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी को देवे अन्यथा खाध सुरक्षा अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि गैरसायल द्वारा शास्ति राशि जमा नहीं करवाये जाने पर गैरसायल के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 14.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोकेश कुमार गौतम)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चूरू
अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू